प्रेस नोट

दिनांक- 14.09.2024

थाना समाधान दिवस

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थानों में आयोजित समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थानों में आयोजित समाधान दिवस में जनता की जनसमस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुनकर उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण शत्-प्रतिशत निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा थाना इटियाथोक व थाना खरगूपुर में जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार समस्त क्षेत्राधिकारी अपने अपने सर्किल व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा थाना समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गम्भीरतापूर्वक सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया। समस्त थानों से कुल 115 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए 11 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया शेष राजस्व संबंधित मामलों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निस्तारण हेतु मौके पर भेजा गया

इस दौरान राजस्व एवं पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 14.09.2024, अपराध शाखा
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-141/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 लाल बहादुर उम्र करीब 36 वर्ष निवासी झुड़ीया थाना देहात कोतवाली जनपद बहराइच को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास से थाना को0नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी शाकिर अली पुत्र स्व0 अब्दुल कवि खाँ निवासी 129 एचआईजी विकास नगर लखनऊ द्वारा थाना कोतावली नगर को सूचना दिया की विपक्षीगण द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करके उसकी जमीन को फर्जी बैनाम करा लिया है । तहरीर के आधार थाना को0नगर पर मु0अ0सं0-141/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि बनाम गोरखनाथ सिंह आदि 06 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री अति उल्ला अपराध शाखा गोण्डा द्वारा की जा रही थी।

आज दिनांक 14.09.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नामजद अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 लाल बहादुर निवासी झुड़ीया थाना देहात कोतवाली जनपद बहराइच को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 लाल बहादुर निवासी झुड़ीया थाना देहात कोतवाली जनपद बहराइच ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-141/2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि थाना को0 नगर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अविनाश सिंह
02. हे0का0 मनोज यादव
03. का0 राहुल वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.09.2024, थाना खरगूपुर
जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त राशिद अली पुत्र ताहिर अली निवासी मझवा बनकट थाना विशेशरगंज जनपद-बहराइच मुस्लिम बाबा बगिया के पास थाना खरगूपुर से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खरगुपर में मु0अ0स0-231/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.09.2024 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 पंकज कुमार सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुस्लिम बाबा बगिया के पास अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 50 ग्राम गाँजा) बरामद कर अभियुक्त राशिद अली पुत्र ताहिर अली निवासी मझवा बनकट थाना विशेश्वरगंज जनपद-बहराइच को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0स0- 211/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राशिद अली पुत्र ताहिर अली निवासी मझवा बनकट थाना विशेश्वरगंज जनपद-बहराइच

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 211/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 किलो 50 ग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पंकज कुमार
02. हे0का0 राजकिशोर
03.हे0का0 मुनव्वर
04.का0 विजयशंकर राय
5.का0 लवकुश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.09.2024, थाना को0 मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा आबादी की जमीन को हडप्पने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में गठित थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-314/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 147, 148, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त 01. इन्द्रमणि पाण्डेय पुत्र कृपाराम निवासी ग्राम लौकहा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा को उतरौला रोड झिल्लाही तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा दिनाकं 23.06.2024 को थाना कोतावली मनकापुर को सूचना दिया की विपक्षीगण द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करके जमीन को हड़प्प के लिए लाठी डण्डा आदि लेकर गाली गुप्ता दिये । तहरीर के आधार थाना को0 मनकापुर पर मु0अ0सं0-314/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 147, 148, 504, 506 भादवि बनाम इन्द्रमणि पाण्डेय आदि 08 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 14.09.2024 को थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त इन्द्रमणि पाण्डेय पुत्र कृपाराम निवासी ग्राम लौकहा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा को उतरौला रोड झिल्लाही तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इन्द्रमणि पाण्डेय पुत्र कृपाराम निवासी ग्राम लौकहा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-314/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 147, 148, 504, 506 भादवि थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार पाल
02. हे0का0 बालमुकुन्द यादव
03. हे0का0 सहदेव यादव
04. का0 राजू यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।